

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**गृह (पुलिस) अनुभाग-1**  
**संख्या-1836/6-पु-1-15-1300(7)/1994**  
**लखनऊ: दिनांक: 28 सितम्बर, 2015**

**अधिसूचना**  
**प्रकीर्ण**

संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सेटबुलरी ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या: 40 सन् 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त निर्गत समस्त विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग के रेडियो निरीक्षक, रेडियो उप निरीक्षक, प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक), सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015**

**भाग-1 सामान्य**

<b>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</b>	<b>1-(1)</b> यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी। <b>(2)</b> यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
<b>सेवा की प्रास्थिति</b>	<b>2-</b> उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ एक ऐसी सेवा है और जिसमें समूह "ग" एवं समूह "घ" के पद समाविष्ट हैं।
<b>परिभाषाएं</b>	<b>3-</b> जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है; (ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य रेडियो निरीक्षक एवं रेडियो उप निरीक्षक के पदों के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) तथा प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉत्रिक), सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के पदों के सम्बन्ध में राज्य रेडियो अधिकारी से है; (ग) "बोर्ड" का तात्पर्य इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है; (घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है; (ङ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत का संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए; (च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्यपाल से है;

	<p>(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;</p> <p>(ज) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार/अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, उत्तर प्रदेश से है;</p> <p>(झ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;</p> <p>(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा से है;</p> <p>(ट) "चयन समिति" का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय गठित चयन समिति से है;</p> <p>(ठ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और इन नियमों के अनुसार या सरकारी नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो;</p> <p>(ड) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;</p>
--	---

## भाग-2 संवर्ग

<b>सेवा का संवर्ग</b>	<p><b>4-</b> (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाया।</p> <p>(2) जब तक कि उप नियम-1 के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, निम्नलिखित होगी:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>पद का नाम</th> <th>अस्थायी</th> <th>स्थायी</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>कर्मशाला कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड)</td> <td>110</td> <td>78</td> <td>188</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>सहायक परिचालक</td> <td>700</td> <td>878</td> <td>1578</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक)</td> <td>903</td> <td>2097</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>रेडियो उप निरीक्षक</td> <td>466</td> <td>330</td> <td>796</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>रेडियो निरीक्षक</td> <td>45</td> <td>51</td> <td>96</td> </tr> </tbody> </table> <p>परन्तु यह कि:-</p> <p><b>(एक)</b> विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत आवंटन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या को पुनःअवधारित कर सकता है;</p> <p><b>(दो)</b> नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;</p> <p><b>(तीन)</b> राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।</p>	क्र.स.	पद का नाम	अस्थायी	स्थायी	योग	1	कर्मशाला कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड)	110	78	188	2	सहायक परिचालक	700	878	1578	3	प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक)	903	2097	3000	4	रेडियो उप निरीक्षक	466	330	796	5	रेडियो निरीक्षक	45	51	96
क्र.स.	पद का नाम	अस्थायी	स्थायी	योग																											
1	कर्मशाला कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड)	110	78	188																											
2	सहायक परिचालक	700	878	1578																											
3	प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक)	903	2097	3000																											
4	रेडियो उप निरीक्षक	466	330	796																											
5	रेडियो निरीक्षक	45	51	96																											

## भाग-3 भर्ती

<b>भर्ती का स्रोत</b>	<p><b>5-</b> सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी:-</p> <p><b>(क) कर्मशाला कर्मचारी:-</b></p>
-----------------------	---

(एक) 75 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

**टिप्पणी-** सेवाकाल में पुलिस रेडियो विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस रेडियो विभाग के कर्मशाला कर्मचारी के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार बोर्ड द्वारा की जायेगी।

(दो) 25 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा के समूह "घ" के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर साइंस / इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी / रेडियो एवं टेलीविजन / इलेक्ट्रिक सप्लाय एण्ड मैनुफैक्चरिंग/रिफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्सट्रूमेंट /मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

**(\*\*अधिसूचना संख्या: 18/2016/2792/6-पु-1-16-1300(7)-1994, दिनांक 19.10.2016 द्वारा संशोधित)**

**(ख) सहायक परिचालक:-**

(एक) 90 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

**टिप्पणी-** सेवाकाल में पुलिस रेडियो विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस रेडियो विभाग के सहायक परिचालक के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

(दो) 10 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-तीन उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो,

**(\*अधिसूचना संख्या: 8/2016/609/6-पु-1-16-1300(7)-1994, दिनांक 15.03.2016 द्वारा संशोधित)**

**(ग) (एक) 50 प्रतिशत रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।**

**टिप्पणी:-**सेवाकाल में पुलिस रेडियो विभाग के मृत कार्मिकों के ऐसे आश्रित जो प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉत्रिक) के पद पर मृतक श्रेणी के आश्रित के रूप में आवेदन

करते हैं उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार के माध्यम से विनिश्चित की गयी नीति के अनुसार की जायेगी। निर्वन्धन यह है कि प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉत्रिक) के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती के पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष होने वाली रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

**(दो) 50** प्रतिशत रिक्त पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों से भरे जायेंगे जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-दो उत्तीर्ण की हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

**टिप्पणी:-** प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के कुल स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों का 50 प्रतिशत को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा एवं शेष 50 प्रतिशत रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

परन्तु उपरोक्त प्रक्रिया तब तक जारी रखी जायेगी, जब तक कि सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पदों की कुल संख्या, कुल स्वीकृत पदों की संख्या का 50 प्रतिशत न हो जाया। इसके पश्चात रिक्तियां सम्बन्धित श्रेणी में भरी जाएंगी।

**(\*\*अधिसूचना संख्या: 18/2016/2792/6-पु-1-16-1300(7)-1994, दिनांक 19.10.2016 द्वारा संशोधित)**

**(घ) रेडियो उप निरीक्षक:-**

रेडियो उप निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) से जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-एक उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

**(ङ) रेडियो निरीक्षक:-**

रेडियो निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियो उप निरीक्षक से भरे जायेंगे, जिन्होंने रेडियो उप निरीक्षक अथवा रेडियो केन्द्र अधिकारी अथवा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

**(\*अधिसूचना संख्या: 8/2016/609/6-पु-1-16-1300(7)-1994, दिनांक 15.03.2016 द्वारा संशोधित)**

**आरक्षण**

**6-** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए

	आरक्षण, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा परन्तु यह और कि राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के लिये आरक्षण तत्समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।
--	---

#### **भाग-4 अर्हताएं**

<b>राष्ट्रीयता</b>	<p><b>7-</b> सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-</p> <p>(क) भारत का नागरिक हो, या</p> <p>(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या</p> <p>(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानियाँ (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रव्रजन किया हो:</p> <p>परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;</p> <p>परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें:</p> <p>परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।</p> <p><b>टिप्पणी:-</b> ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।</p>
<b>शैक्षिक अर्हता</b>	<p><b>8- (क) कर्मशाला कर्मचारी:-</b></p> <p>अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) से इलेक्ट्रानिक्स/ टेलीकम्युनिकेशन /इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर साइंस /इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी/ रेडियो एवं टेलीविजन/इलेक्ट्रिक सप्लाइ एण्ड मैनुफैक्चरिंग /रिफ्रीजरेशन /मैकेनिक इन्सट्रुमेंट/मैकेनिक</p>

	<p>इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p><b>(**अधिसूचना संख्या: 18/2016/2792/6-पु-1-16-1300(7)-1994, दिनांक 19.10.2016 द्वारा संशोधित)</b></p> <p><b>(ख) सहायक परिचालक:-</b> अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी एवं गणित विषयों सहित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p><b>(ग) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक)-</b> अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रिकल / कम्प्यूटर साइंस / इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी / इन्सट्रुमेंटेशन टेक्नोलॉजी / मैकेनिकल इन्जीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p>
<p><b>अधिमानी अर्हताएं</b></p>	<p><b>9-</b> अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-</p> <p>(1) डी.ओ.ई.ए.सी.सी./एन.आई.ई.एल.आई.टी. सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो;</p> <p>(2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या</p> <p>(3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।</p> <p><b>टिप्पणी:-</b> उपर्युक्त अधिमानी अर्हताओं के कोई अंक नहीं होंगे, किन्तु दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी को नियम-15 के अधीन चयन सूची में अधिमान दिया जायेगा।</p>
<p><b>आयु</b></p>	<p><b>10-</b> सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि जिस कैलेण्डर वर्ष में रिक्तियां विज्ञापित की जायं, उसकी पहली जुलाई को अभ्यर्थी ने सहायक परिचालक पद हेतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक की आयु न हो तथा शेष पदों के लिए अभ्यर्थी ने 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक न हो;</p> <p>परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और बोर्ड द्वारा रिक्तियों के प्रकाशन के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जायं।</p>
<p><b>चरित्र</b></p>	<p><b>11-</b> सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।</p> <p><b>टिप्पणी:-</b> संघ सरकार या राज्य सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा</p>

	<p>पदच्युत् व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।</p>
वैवाहिक प्रास्थिति	<p><b>12-</b> ऐसा/ऐसी व्यक्ति:-</p> <p>(क) जिसने किसी ऐसे/ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो/ की हो, जिसका/ जिसकी पहले से जीवित पति/पत्नी हो; या</p> <p>(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी;</p> <p>परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिये लागू वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।</p> <p><b>(***अधिसूचना संख्या: 7/2018/2369/6-पु-1-18-1300(7)1994, दिनांक 11.06.2018 द्वारा संशोधित)</b></p>
शारीरिक स्वस्थता	<p><b>13-</b> किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करे।</p> <p><b>टिप्पणी:-</b> चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊँचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक-नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोज वेस, दूर एवं निकट दृष्टि कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं आंशिक), श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेबर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा।</p> <p>परन्तु यह कि समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित शिथिलता प्रदान की जायेगी।</p>

### भाग-5 भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण	<p><b>14-</b> रिक्तियों का अवधारण</p> <p>नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और</p>
---------------------	--

	<p>नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष, रिक्तियों की संख्या, बोर्ड एवं सरकार को भी सूचित करेगा। तत्पश्चात, बोर्ड निम्नलिखित रीति से रिक्तियाँ अधिसूचित करेगा:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके,</li> <li>(2) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;</li> <li>(3) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके, और</li> <li>(4) जन संचार के अन्य माध्यमों द्वारा।</li> </ol> <p>(***अधिसूचना संख्या: 7/2018/2369/6-पु-1-18-1300(7)1994, दिनांक 11.06.2018 द्वारा संशोधित)</p>										
<p>कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया</p>	<p><b>15-</b></p> <p><b>(क) आवेदन पत्र एवं बुलावा पत्र</b></p> <p>कोई अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। विभागाध्यक्ष, बोर्ड से परामर्श करके किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत करेगा। आवेदन पत्र भरे जाने एवं बुलावा पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायेगा एवं इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।</p> <p>सरकार, प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी प्रक्रम पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।</p> <p><b>(ख) लिखित परीक्षा</b></p> <p>ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन सही पाये जाते हैं, उनसे 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में, बोर्ड निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा:-</p> <table border="1" data-bbox="435 1522 1409 1862"> <thead> <tr> <th>विषय</th> <th>अधिकतम अंक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. सामान्य हिन्दी</td> <td>100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)</td> </tr> <tr> <td>2. विज्ञान/सामान्य ज्ञान</td> <td>100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)</td> </tr> <tr> <td>3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा</td> <td>100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)</td> </tr> <tr> <td>4. मानसिक अभिरुचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा / तार्किक परीक्षा</td> <td>100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)</td> </tr> </tbody> </table>	विषय	अधिकतम अंक	1. सामान्य हिन्दी	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	2. विज्ञान/सामान्य ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	4. मानसिक अभिरुचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा / तार्किक परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
विषय	अधिकतम अंक										
1. सामान्य हिन्दी	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)										
2. विज्ञान/सामान्य ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)										
3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)										
4. मानसिक अभिरुचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा / तार्किक परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)										

प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

**(ग) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा**

खण्ड (ख) के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड इस परीक्षा के लिये बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को अपने स्तर पर विनिश्चित करेगा। अभ्यर्थियों हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्नलिखित हैं:-

**(1) पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-**

**(क) ऊँचाई:-**

(क) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर है।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है।

**(ख) सीना:-**

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

**टिप्पणी:-** न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

**(2) महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-**

**(क) - ऊँचाई:-**

(एक) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों के किसी अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजातियों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।

**(ख) वजन:**

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

इस परीक्षा को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। अपेक्षानुसार बोर्ड के

अनुरोध पर समिति के शेष सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

इस परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या अधिसूचना में प्रकाशित की जायेगी।

ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट न हो, परीक्षा के पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अग्रतर किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

#### **(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा-**

खण्ड (ग) के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किमी० की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किमी० की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। इस परीक्षा को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। अपेक्षानुसार बोर्ड के अनुरोध पर समिति के शेष सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

#### **(ङ) चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची-**

खण्ड (घ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से, खण्ड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर, बोर्ड आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए, रिक्तियों के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में एक चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अध्यक्षीन पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेगा जो अनुमोदनोपरान्त इसे अग्रतर कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

	<p><b>टिप्पणी:-</b> यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में दी गयी प्रक्रियानुसार विनिश्चित की जायेगी:-</p> <p>(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने समान अंक प्राप्त किया है तो, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता <b>(नियम-9)</b> में यथा उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।</p> <p>(2) फिर भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा।</p> <p>(3) यदि उपरिलिखित एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जायेगा।</p> <p><b>(च) चिकित्सा परीक्षण</b></p> <p>ऐसे अभ्यर्थियों जिनके नाम खण्ड (ड.) के अनुसार चयन सूची में हैं से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के संचालन हेतु सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जायेगा जिसमें 03 चिकित्सक होंगे जो पुलिस महानिदेशक द्वारा महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से यथा विहित और कोड किये गये "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्ररूप" के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा। कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट न हो, स्वयं परीक्षा के दिन अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा यदि अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा एवं स्वयं के परिणाम की घोषणा के दिनांक को अपील दाखिल नहीं करता है। अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सा दोष से सम्बन्धित विशेषज्ञ होगा। चिकित्सा परीक्षा संचालित करने हेतु विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए अग्रनीत किया जाएगा।</p> <p><b>(**अधिसूचना संख्या: 18/2016/2792/6-पु-1-16-1300(7)-1994, दिनांक 19.10.2016 द्वारा संशोधित)</b></p>
<p><b>चरित्र सत्यापन</b></p>	<p><b>16-</b> नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने से पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए अग्रनीत किया जायेगा।</p> <p><b>(**अधिसूचना संख्या: 18/2016/2792/6-पु-1-16-1300(7)-1994, दिनांक</b></p>

	<b>19.10.2016 द्वारा संशोधित)</b>
पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु प्रक्रिया	<p><b>17-1(क) कर्मशाला कर्मचारी:-</b></p> <p>कर्मशाला कर्मचारी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा के समूह-"घ" के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) से इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रिकल /कम्प्यूटर साइंस / इन्फारमेशन टेक्नोलोजी / रेडियो एवं टेलीविजन / इलेक्ट्रिक सप्लाइ एण्ड मैनुफैक्चरिंग/रिफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्सट्रूमेंट / मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स / कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।</p> <p><b>(ख) सहायक परिचालक:</b></p> <p>सहायक परिचालक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-तीन उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी:- पदोन्नति के प्रयोजनार्थ कर्मशाला कर्मचारियों को ज्येष्ठता क्रम में सहायक परिचालक हेतु आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जायेगी और पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक आगामी रिक्ति के लिए यथासम्भव पाँच कर्मशाला कर्मचारी इस पाठ्यक्रम के लिए भेजे जायेंगे।</p> <p><b>(ग) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) -</b></p> <p>प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के 50 प्रतिशत रिक्तियों को अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों में से भरे जायेंगे जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-दो उत्तीर्ण कर लिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी:- प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के कुल स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। परन्तु उपरोक्त प्रक्रिया तब तक जारी रखी जायेगी, जब तक कि सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पदों की कुल संख्या, कुल स्वीकृत पदों की संख्या का 50 प्रतिशत न हो जाया इसके पश्चात रिक्तियां सम्बन्धित श्रेणी में भरी जाएंगी।</p>

**(घ) रेडियो उप निरीक्षक:-**

रेडियो उप निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के शत प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक, यॉत्रिक में से भरे जायेंगे जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी-एक उत्तीर्ण कर लिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

**(ड.) रेडियो निरीक्षक:-**

रेडियो निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियो उप निरीक्षक से भरे जायेंगे जिन्होंने रेडियो उप निरीक्षक अथवा रेडियो केन्द्र अधिकारी अथवा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिये हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

**(\*\*अधिसूचना संख्या: 18/2016/2792/6-पु-1-16-1300(7)-1994, दिनांक 19.10.2016 द्वारा संशोधित)**

**2- पदोन्नति हेतु चयन समिति**

(क) पदोन्नति हेतु चयन समिति बोर्ड द्वारा गठित की जायेगी।

(ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित किया जायेगा तथा जिस पद पर पदोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। समिति में उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित किया जायेगा और शेष सदस्य शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ग) निर्विवाद ज्येष्ठता सूची उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय द्वारा चयन बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित बोर्ड द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(ड.) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अन्तिम पदोन्नति आदेश निर्गत करने के लिये प्रेषित करेगा

(च) चयन सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट (website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

**भाग-6 नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण, और ज्येष्ठता**

<p><b>नियुक्ति</b></p>	<p><b>18- (1)</b> मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उस क्रम से लेकर, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम-15 व नियम-17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो, नियुक्तियाँ करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी नियम-15 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र में यह अपेक्षा की जायेगी कि वे नियुक्ति पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हों। ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा:</p> <p>परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उस पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गई नियुक्ति समझी जायेगी।</p> <p><b>(2)</b> नियम-17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो, एक संयुक्त सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि नियम-17 के अन्तर्गत तैयार की गयी संयुक्त चयन सूची में हो:</p> <p>परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।</p>
<p><b>प्रशिक्षण</b></p>	<p><b>19- (1) (क)</b> कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक तथा प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉत्रिक) के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। आधारभूत प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।</p> <p><b>(ख)</b> आधारभूत प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों की सेवाएँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।</p> <p><b>(2)</b> नियम-17 के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये कर्मियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।</p>
<p><b>परिवीक्षा</b></p>	<p><b>20- (1)</b> सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।</p> <p><b>(2)</b> परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।</p> <p><b>(3)</b> नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक</p>

	<p>अवधि बढ़ाई जाय:</p> <p>परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।</p> <p>(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।</p> <p>(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।</p> <p>(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।</p>
<b>स्थायीकरण</b>	<p><b>21-</b> (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि:</p> <p>(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,</p> <p>(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो, और</p> <p>(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।</p> <p>(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम-(3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।</p>
<b>ज्येष्ठता</b>	<p><b>22-</b> सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय - समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 द्वारा अवधारित की जायेगी।</p>

### भाग-7 वेतनमान

<b>वेतनमान</b>	<p><b>23- वेतनमान</b></p> <p>(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, नियुक्त व्यक्तियों को ऐसा वेतनमान अनुमन्य होगा जैसा सरकार द्वारा समय - समय पर अवधारित किया जाय।</p> <p>(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये जा रहे हैं:-</p>			
	क्र.सं.	पद का नाम	वेतन बैण्ड (रुपये)	ग्रेड-पे (रुपये)
	1	कर्मशाला कर्मचारी	5200-20200	रु0 2000
	2	सहायक परिचालक	5200-20200	रु0 2400

	3	प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक (यॉत्रिक)	9300-34800	रु0 4200
	4	रेडियो उप निरीक्षक	9300-34800	रु0 4600
	5	रेडियो निरीक्षक	9300-34800	रु0 4800
	टिप्पणी: सेवा के सदस्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत विशेष वेतन/व्यवसाय वेतन और अन्य भत्ते पाने के भी हकदार होंगे।			
<b>परिवीक्षा अवधि में वेतन</b>	<p><b>24- (1)</b> फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण जहाँ विहित हो, पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;</p> <p>परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।</p> <p><b>(2)</b> ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।</p> <p>परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।</p> <p><b>(3)</b> ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।</p>			

### **भाग-8 अन्य उपबन्ध**

<b>पक्ष समर्थन</b>	<b>25-</b> किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
<b>अन्य विषयों का विनियमन</b>	<b>26-</b> ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या उपबन्धों, विनियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति यथास्थिति पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अन्य उपबन्धों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

<p>सेवा की शर्तों में शिथिलता</p>	<p><b>27-</b> जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।</p>
<p>व्यावृत्ति</p>	<p><b>28-</b> इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।</p>

परिशिष्ट: 1, 2, 3, एवं 4 को निकाल दिया गया।

(\*\*अधिसूचना संख्या: 18/2016/2792/6-पु-1-16-1300(7)-1994, दिनांक 19.10.2016 द्वारा संशोधित)

देबाशीष पण्डा  
प्रमुख सचिव, गृह

नोट:-

- (1) \* अधिसूचना संख्या: 8/2016/609/6-पु-1-16-1300(7)-1994, दिनांक 15.03.2016 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) निमयावली, 2016)
- (2) \*\* अधिसूचना संख्या: 18/2016/2792/6-पु-1-16-1300(7)-1994, दिनांक 19.10.2016 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) निमयावली, 2016)
- (3) \*\*\* अधिसूचना संख्या: 7/2018/2369/6-पु-1-18-1300(7)1994, दिनांक 11.06.2018 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (तृतीय संशोधन) निमयावली, 2018)

**Uttar Pradesh Shasan  
Grih (Police) Anubhag-1**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 1836/VI-pu-1-15-1300(7)/1994 dated: 28 Sept. 2015 for general information.

**NOTIFICATION**

Miscellaneous

No. 1836/VI-pu-1-15-1300(7)/1994

Lucknow Dated: 28 Sept., 2015

In exercise of the powers under section 15 of the United Provinces Armed Constabulary Act, 1948 (U.P. Act no. 40 of 1948) and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of all existing rules issued in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the selection, promotion, training, appointment, determination of seniority and confirmation etc. of officers namely the Workshop Hands, Assistant Operators, Head Operators/Head Operators (Mechanic), Radio Sub-Inspectors and Radio Inspectors of Uttar Pradesh Police Radio-

**THE UTTAR PRADESH POLICE RADIO SUBORDINATE SERVICE RULES, 2015**

**PART-1-GENERAL**

<b>Short title and commencement</b>	<b>1-</b> (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service Rules, 2015.  (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
<b>Status of the Service</b>	<b>2-</b> The Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service is a Service comprising Group 'C' and Group 'D' posts.
<b>Definitions</b>	<b>3-</b> In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context;  (a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.;  (b) 'Appointing authority' means the Deputy Inspector General (Police Telecommunication) in the case of Radio Inspectors and Radio Sub-Inspectors and the State Radio Officer in the case of Head Operators/Head Operators (Mechanic)/Assistant Operators and Workshop Hands;  (c) 'Board' means the Police Service Recruitment and Promotion Board established in accordance with Government orders issued

	<p>from time to time in this regard;</p> <p>(d) 'Constitution' means Constitution of India;</p> <p>(e) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part-II of the Constitution of India;</p> <p>(f) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh.</p> <p>(g) 'Government' means the Government of Uttar Pradesh;</p> <p>(h) 'Head of the Department' means the Director General of Police, Telecommunication/ Additional Director General of Police, Telecommunication, Uttar Pradesh;</p> <p>(i) 'Other backward classes of citizens means the other backward classes of citizens specified in Schedule-I of the Act, as amended from time to time.</p> <p>(j) 'Service' means the Uttar Pradesh Police Radio Subordinate Service.</p> <p>(k) 'Selection Committee' means a Selection Committee constituted from time to time by the Board for the selection of candidates for appointment to a posts in the service.</p> <p>(l) 'Substantive appointment' means an appointment not being on adhoc appointment on a post in the cadre of the service and after selection in accordance with these rules or in accordance with the Government rules.</p> <p>(m) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.</p>
--	--

### **PART-II-CADRE**

<b>Cadre Service</b>	<b>of</b>	<b>4-</b>	<p>(1) The strength of Service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.</p> <p>(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below :</p>																				
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">S.No.</th> <th style="text-align: center;">Name of the Post</th> <th style="text-align: center;">Temporary</th> <th style="text-align: center;">Permanent</th> <th style="text-align: center;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Workshop Hand</td> <td style="text-align: center;">110</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: center;">188</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Assistant Operator</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">878</td> <td style="text-align: center;">1578</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Head Operator / Head</td> <td style="text-align: center;">903</td> <td style="text-align: center;">2097</td> <td style="text-align: center;">3000</td> </tr> </tbody> </table>	S.No.	Name of the Post	Temporary	Permanent	Total	1	Workshop Hand	110	78	188	2	Assistant Operator	700	878	1578	3	Head Operator / Head	903	2097	3000
S.No.	Name of the Post	Temporary	Permanent	Total																			
1	Workshop Hand	110	78	188																			
2	Assistant Operator	700	878	1578																			
3	Head Operator / Head	903	2097	3000																			

	Operator (Mechanic)			
4	Radio Sub-Inspector	466	330	796
5	Radio Inspector	45	51	96

Provided that:-

- (i) The Head of the Department may re-determine the number of posts of various units within the overall sanctioned allocation.
- (ii) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation.
- (iii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

### **PART-III-RECRUITMENT**

<b>Source of recruitment</b>	<p><b>5-</b> Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:-</p> <p>(a) <b>Workshop Hand -</b></p> <p>(i) 75 percent of the posts shall be filled by direct recruitment by the Board.</p> <p><b>Note:-</b> Dependants of personnel of Police Radio Department deceased during service who apply for the post of Workshop Hand in the dependant of deceased category shall be recruited by the Board as per the policy decided by the Government.</p> <p>(ii) 25 percent of the posts shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent employees of Group-"D" of Uttar Pradesh Police Radio Branch, who have passed high school examination or passed certificate examination course in Electronics / Telecommunication/ Electrical /Computer Science /Information Technology / Radio and Television/Electric Supply and Manufacturing / Refrigeration / Mechanic Instrument / Mechanic Electronics / Computer Operator and Programming Assistant trade from any Government recognized Industrial Training Institute (I.T.I.) or a qualification recognized by the State Government as equivalent thereto or possesses any equivalent eligibility and have completed at least five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment,</p>
------------------------------	--

including the probation period.

**(\*\* Amended by notification no. 18/2016/2792/6-pu-01-16-1300(7)-1994 dated: 19.10.2016)**

**(b) Assistant Operator-**

- (i) 90 percent of the posts shall be filled by direct recruitment by the Board.

**Note:-** Dependants of personnel of Police Radio Department deceased during service who apply for the post of Assistant Operator in the dependant of deceased category shall be recruited by the Board as per the policy decided by the Government.

- (ii) 10 percent of the posts shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed permanent Workshop Hands, who have passed the Operator Training course Grade-III and have completed five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

**(\* Amended by notification no. 8/2016/609/6-pu-01-16-1300(7)-1994 dated: 15.03.2016)**

**(c) Head Operator/Head Operator (Mechanic)-**

- (i) 50 percent vacancies of the posts shall be filled by direct recruitment by the board.

**Note:-** Dependants of personnel of Police Radio Department deceased during service who apply for the post of Head Operator/Head Operator (Mechanic) in the dependant of deceased category shall be recruited by the Board as per the policy decided by the Government. Restriction being that every year such posts shall not be more than 5 percent of the posts to be filled by direct recruitment as against the vacancies arising in the previously sanctioned posts of Head Operator/Head Operator (Mechanic).

- (ii) 50 percent vacancies of the posts shall be filled by recruitment through promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed permanent Assistant Operators, who have passed the Operator Training Course Grade-II and have completed eight years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

	<p><b>Note:-</b> Out of the total sanctioned posts of Head Operator / Head Operator (Mechanic), 50 percent of the vacant posts shall be filled by direct recruitment and remaining 50 percent of vacant posts shall be filled by promotion.</p> <p>Provided that the above process shall be continued, until the total number of post filled by direct recruitment shall become 50 percent of the total sanctioned post. Thereafter the vacancies shall be filled in their respective categories.</p> <p><b>(** Amended by notification no. 18/2016/2792/6-pu-01-16-1300(7)-1994 dated: 19.10.2016)</b></p> <p><b>(d) Radio Sub-Inspector-</b></p> <p>Hundred percent of the total number of sanctioned posts of Radio Sub-Inspector shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent Head Operator/Head Operator (Mechanic) <b>who have passed the Operator Training course Grade-I</b> and have completed ten years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.</p> <p><b>(e) Radio Inspector-</b></p> <p>Hundred percent of the total number of sanctioned posts of Radio Inspector shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Radio Sub-Inspector who have passed the Radio Sub Inspector or Radio Station Officer or Radio Maintenance Officer Training course and have completed five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.</p> <p><b>(* Amended by notification no. 8/2016/609/6-pu-01-16-1300(7)-1994 dated: 15.03.2016)</b></p>
<p><b>Reservation</b></p>	<p><b>6-</b> Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act and the provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment Provided further that Reservation for National / State level players will be in accordance with Government orders for the time being in force.</p>

**PART-IV-QUALIFICATIONS**

<b>Nationality</b>	<p><b>7-</b> A candidate for direct recruitment to a post in the service must be -</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) A Citizen of India; or</li><li>(b) A Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or</li><li>(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:</li></ul> <p style="padding-left: 40px;">Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.</p> <p><b>Note-</b> A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.</p>
<b>Academic Qualifications</b>	<p><b>8- (a) Workshop Hand -</b></p> <p>Candidate should have passed High School examination by a Board established by law in India or have passed an equivalent examination recognized by Government or should have passed certificate examination course in Electronics / Tele- communication / Electrical / Computer Science / Information Technology / Radio and Television / Electric Supply and Manufacturing / Refrigeration / Mechanic Instrument / Mechanic Electronics / Computer Operator and Programming Assistant trade from any Government recognized Industrial Training Institute (I.T.I.) or a qualification recognized by</p>

	<p>the Government as equivalent thereto.</p> <p><b>(** Amended by notification no. 18/2016/2792/6-pu-01-16-1300(7)-1994 dated: 19.10.2016)</b></p> <p>(b) <b>Assistant Operator-</b> Candidate should have passed Intermediate examination with physics and mathematics subjects by a board established by law in India or should have passed an examination recognized by the State Government as equivalent thereto.</p> <p>(c) <b>Head Operator/Head Operator (Mechanic)-</b> Candidate should have passed three years diploma course in Electronics/ Telecommunication / Electrical / Computer Science / Information Technology / Instrumentation Technology / Mechanical Engineering by a board established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto</p>
<b>Preferential qualification</b>	<p><b>9-</b> Other things being equal, a candidate for direct recruitment shall be given preference who has;</p> <p>(i) 'O' level certificate from DOEACC/NIELIT Society in Computer; or</p> <p>(ii) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or</p> <p>(iii) Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps,</p> <p><b>Note -</b> The above mentioned preferential qualifications shall carry no marks but in case two or more candidates obtain equal marks, the candidate having the preferential qualifications shall be given preference under rule-15 of the selection list.</p>
<b>Age</b>	<p><b>10-</b> A candidate for direct recruitment to the post of Assistant Operator must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 22 years and for the rest of the posts candidate must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 28 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised.</p> <p>Provided that the Upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be greater by such number of years as may be specified in the Act and Government orders applicable at the time of publication of vacancy by the Board.</p>
<b>Character</b>	<p><b>11-</b> The character of a candidate for direct recruitment to a post in the</p>

	<p>service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.</p> <p><b>Note</b> - Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a local authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to a post in the service, Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.</p>
<b>Marital Status</b>	<p><b>12-</b> No person,-</p> <p>(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or</p> <p>(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,</p> <p>shall be eligible for appointment to Service:</p> <p>Provided that the State Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.</p> <p><b>(*** Amended by notification no. 7/2018/2369/6-pu-01-18-1300(7)-1994 dated: 11.06.2018)</b></p>
<b>Physical fitness</b>	<p><b>13-</b> No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by Medical Board.</p> <p><b>Note:-</b> The Medical Board shall also examine the candidate for any physical standards prescribed for males and females as the case may be and deficiencies such as Knock Knee, bow-legs, flat feet, varicose veins, distant and near vision, partial or total colour blindness, hearing test comprising of Rinne's test, Webber's test and tests for vertigo, speech defects etc, and examine such other deficiencies as notified by Government from time to time.</p> <p>Provided that prescribed relaxation will be given to the physically disabled candidates as per the clause of Uttar Pradesh Public Service (Physically Disabled, Dependent of</p>

	Freedom Fighter and Reservation for Ex-servicemen) Act,1993 as amended from time to time and Government Orders prevailing at the time of recruitment for Uttar Pradesh Police Radio.
--	--

**PART-V**  
**PROCEDURE FOR RECRUITMENT**

<b>Determination of vacancies</b>	<p><b>14-</b> The appointing authority shall determine and intimate to the Head of the Department the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies reserved for candidates belonging Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The Head of the Department shall intimate the number of vacancies to the Board and also to the Government. Subsequently the Board shall notify the vacancies in the following manner:-</p> <p>(i) By issuing advertisement in daily Hindi and English newspapers having wide circulation ;</p> <p>(ii) By pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers;</p> <p>(iii) By notifying vacancies to the Employment Exchange; and</p> <p>(iv) By other means of public communication.</p> <p><b>(*** Amended by notification no. 7/2018/2369/6-pu-01-18-1300(7)-1994 dated: 11.06.2018)</b></p>
<b>Procedure for direct recruitment to the post of Workshop Hands, Assistant Operators, Head Operators/ Head</b>	<p><b>15- Procedure for Direct Recruitment to the post of Work Shop Hand, Assistant Operator and Head Operator/ Head Operator (Mechanic):-</b></p> <p><b>(a) Application Form and Call Letter:-</b></p> <p>A candidate shall fill only one application Form. The Board will accept only online applications. The application of candidates, who fill more than one forms, may be rejected by the Board. The Head of the Department, in consultation with the Board, shall fix an application fee for any recruitment. Detailed procedure of filling the Application form and issuance of call letter shall be determined by Board and will be displayed on its own website.</p>

**Operators  
(Mechanic)**

The Government may change the number of vacancies for any recruitment at any time before the first examination and may also cancel any recruitment at any time or stage of recruitment without assigning any reason therefor.

**(b) Written Examination-**

Candidates whose applications are found correct, shall be required to appear for written test of 400 marks. In this written examination, the Board will keep one objective type question paper of the following subjects:-

<b>Subject</b>	<b>Maximum Marks</b>
1. General Hindi	100 marks (objective type)
2.Science/ General knowledge	100 marks (objective type)
3. Numerical and Mental Ability Test	100 marks (objective type)
4. Mental Aptitude Test /I.Q.Test / Reasoning	100 marks (objective type)

Candidates failing to obtain 50% marks in each Subject shall not be eligible for recruitment. The detailed syllabus for the examination will be decided by the Board and be displayed on its own website. The Board will decide at its own level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shifts or on more than one dates in different shifts. Detailed procedure for written examination shall be determined by Board and will be displayed on its own website.

**(c) Scrutiny of Documents and Physical Standard Test-**

Candidates found successful in written examination as per clause (b) shall be required to appear in Scrutiny of Documents and physical Standard Test. Keeping in view the total number of vacancies, the Board shall decide at its own level, the number of candidates to be called for this test. Physical Standards for candidates are as follows:-

**1. Minimum Physical Standards for male candidates are as follows:-**

**(a) Height:-**

(i) for General / Other Backward classes and Scheduled Castes male candidates minimum height should be 168 centimetres .

(ii) for Scheduled Tribe male candidates minimum height should be 160 centimetres.

**(b) Chest:-**

For the candidates belonging to General/ Other Backward classes and Scheduled Castes minimum chest measurement should be 79 centimetres without expansion and at least 84 centimetres with expansion; and for the Scheduled Tribes 77 centimetres without expansion and not less than 82 centimetres on expansion.

**Note:-** Minimum 5 centimetres chest expansion is essential.

**2. Minimum Physical Standards for female candidates are as follows:-**

**(a) Height:-**

(i) for the candidate belonging to General/Other Backward Classes or Scheduled Castes minimum height should be 152 centimetres.

(ii) for a Scheduled Tribes candidate minimum height should be 147centimetres.

**(b) Weight:-**

Minimum 40 Kg. for female candidates.

For conducting this examination a committee will be constituted by the Board in which a Deputy Collector nominated by the District Magistrate will be the Chairman and the Deputy Superintendent of Police nominated by the District Superintendent of Police will be the member. As per requirement the remaining members of the committee shall be nominated by the District Magistrate or the Superintendent of Police on the request of the Board.

Detailed procedure for this examination shall be determined by the Board and will be displayed on its own website.

Such candidates as are not satisfied with the Physical Standard Test, may file an objection on the same day after the test. For clearing all such objection; the Board shall nominate one Additional Superintendent of Police at every place and Physical Standard Test of all such candidates will be conducted again by the committee in the presence of the nominated Additional Superintendent of Police. All those candidates who are again found unsuccessful in the Physical Standard Test, will be declared unfit for recruitment and no further appeal will be entertained in this regard.

**(d) Physical Efficiency Test-**

Candidates found successful in Scrutiny of Documents and Physical Standard Test as per clause (c) will be required to appear in Physical Efficiency Test, which will be of qualifying nature. For qualifying in this

physical efficiency test it shall be necessary for male candidates to complete 4.8 km. run in 28 minutes and for female candidates to complete 2.4 km. run in 16 minutes. Those candidates who do not complete the run within prescribed time shall not be eligible for recruitment. Detailed procedure for Physical Efficiency Test shall be determined by the Board and will be displayed on its own website. For conducting this examination a committee will be constituted by the Board in which a Deputy Collector nominated by the District Magistrate will be the Chairman and the Deputy Superintendent of Police nominated by the District Superintendent of Police will be the member. As per requirement the remaining members of the committee shall be nominated by the District Magistrate or the Superintendent of Police on the request of the Board.

**(e) Selection and Final Merit List:-**

From amongst the candidates found successful in Physical Efficiency Test under clause (d), on the basis of marks obtained by each candidate in written examination under clause (b), the Board shall prepare, as per the vacancies, a select list of each category of candidates, as per order of merit keeping in view the reservation policy and send it with recommendation to the Director General of Police, Uttar Pradesh, who will after approval send it to the Head of Department for further action subject to Medical test/character verification. No waiting list shall be prepared by the Board. The list of all candidates with marks obtained by each candidate shall be uploaded on its website by the Board. The Head of the Department shall after his approval forward the list sent by the Board to the Appointing Authority for further action.

**Note:-** If two or more than two candidates obtain equal marks then their seniority shall be decided by the procedure laid in following order :-

- (1) If two or more candidates obtain equal marks then such candidate will be given preference who possesses preferential qualification, if any (in the same order as stated in rule 9). Candidate having more than one preferential qualification shall get the benefit of only one preferential qualification.
- (2) Even then if two or more candidates are equal then candidate older in age shall be given preference.
- (3) If despite the aforementioned more than one candidates are equal, then preference to such candidate shall be determined according to the order in English Alphabets of their names mentioned in High School Certificate.

**(f) Medical Test-**

The candidates whose names are in the select list as per clause (e),

	<p>will be required to appear for Medical Examination by the Appointing Authority. For conducting the medical examination, the Chief Medical Officer of the concerned district shall constitute a Medical Board, which will consist of 03 Doctors, who will conduct Medical Examination as per "Police Recruitment Medical Examination Forms" as prescribed and codified by the Director General of Police in consultation with Director General of Medical Health. Any candidate not satisfied by his Medical Examination, may file an appeal on the day of examination itself. Any appeal with regard to Medical Examination will not be considered if the candidate fails to file the appeal on the date of Medical Examination and declaration of its result itself. The Medical Board constituted for appeal shall have expert regarding Medical deficiency of the applicant. The detailed instructions for conducting Medical examination will be issued by the Director General of Police. The candidates found unsuccessful in Medical Examination shall be declared unfit by the Appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.</p> <p><b>(** Amended by notification no. 18/2016/2792/6-pu-01-16-1300(7)-1994 dated: 19.10.2016)</b></p>
<p><b>Character Verification</b></p>	<p><b>16-</b> Character Verification shall be completed under the supervision of appointing authority before issuing of appointment letter and before sending the candidates for training. On adverse fact coming to light during character verification of any candidate, he shall be declared unfit by the appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.</p> <p><b>(** Amended by notification no. 18/2016/2792/6-pu-01-16-1300(7)-1994 dated: 19.10.2016)</b></p>
<p><b>Procedure for promotion</b></p>	<p><b>17- (1) (a) Workshop Hand -</b></p> <p>25 percent of the posts shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent employees of Group-"D" of Uttar Pradesh Police Radio Branch, who have passed high school examination or passed certificate examination course in Electronics / Telecommunication/ Electrical /Computer Science/ Information Technology/ Radio and Television/Electric Supply and Manufacturing / Refrigeration / Mechanic Instrument/Mechanic Electronics /Computer Operator and Programming Assistant trade from any Government recognized Industrial Training Institute</p>

(I.T.I.) or a qualification recognized by the State Government as equivalent thereto or possesses any equivalent eligibility and have completed at least five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

**(b) Assistant Operator-**

10 percent of the total number of sanctioned posts of Assistant Operator shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent Workshop Hands, who have passed the Operator Training course Grade-III and have completed five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

**Note-** For promotion purposes permission will be given to Workshop Hands to obtain Basic Training course for Assistant Operator on the basis of seniority and for every future vacancy to be filled by promotion as possible five Workshop Hands will be sent for this course.

**(c) Head Operator/Head Operator (Mechanic)-**

50 percent vacancies of the posts of Head Operator / Head Operator (Mechanic) shall be filled by recruitment through promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed permanent Assistant Operators, who have passed the Operator Training course Grade-II and have completed eight years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

**Note:-** Out of the total sanctioned posts of Head Operator / Head Operator (Mechanic), 50 percent of the vacant posts shall be filled by direct recruitment and remaining 50 percent of vacant posts shall be filled by promotion.

Provided that the above process shall be continued, until the total number of post filled by direct recruitment shall become 50 percent of the total sanctioned post. Thereafter the vacancies shall be filled in their respective categories.

**(d) Radio Sub-Inspector-**

Hundred percent of the total number of sanctioned posts of

Radio Sub-Inspector shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent Head Operator/Head Operator (Mechanic) who have passed the Operator Training course Grade-I and have completed ten years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

**(e) Radio Inspector-**

Hundred percent of the total number of sanctioned posts of Radio Inspector shall be filled by recruitment through promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Radio Sub-Inspector who have passed the Radio Sub Inspector or Radio Station Officer or Radio Maintenance Officer training course and have completed five years of satisfactory service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

**(\*\* Amended by notification no. 18/2016/2792/6-pu-01-16-1300(7)-1994 dated: 19.10.2016)**

**(2) Selection Committee for promotion**

- (a) The selection committee for promotion shall be constituted by the Board.
- (b) The Chairperson of the committee shall be nominated by the Board who shall be not below to the rank of appointing authority of concerned promotional posts. A suitable member of the committee shall be nominated by the Director General of Police, Uttar Pradesh on the proposal of the Head of Department and remaining members be nominated by the Board as per Government Orders.
- (c) Undisputed seniority list shall be provided to the board by Headquarter of the Uttar Pradesh Police Radio.
- (d) The selection committee shall submit a list of selected candidates, with its recommendation to the Board for the Head of Department through the Director General of Police, Uttar Pradesh. The list shall not exceed the notified vacancies.
- (e) After approval of the Head of Department the selection list send to appointing authority for issuing final promotion orders.
- (f) The selection list shall be published by the Board on its and Uttar Pradesh Police website after approval of Head of

Department.

**PART-VI**  
**APPOINTMENT, TRAINING, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY**

<b>Appointment</b>	<p><b>18- (1)</b> On substantive vacancies, subject to the provisions of rule-15 and 17 the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list. The Appointing Authority will issue the appointment letter to the candidates selected under rule 15 with an instruction that the selected candidates shall join his service /training within a month or as instructed in the letter. In case a candidate fails to join service/training as per instructions, his selection shall be cancelled.</p> <p style="text-align: center;">Provided that any person appointed before the commencement of these rules to any post under the service and continue to work on that post just before the commencement of these rule shall be deemed to have been appointed to that post under these rules and such substantive appointment shall be deemed to have been made under these rules.</p> <p><b>(2)</b> If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection under rule-17, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as placed in the combined select list prepared under rule-17.</p> <p style="text-align: center;">Provided that any person appointed to a post in the service prior to the commencement of these rule and is working on that post shall be deemed to have been substantially appointed under these rules and such substantively appointment shall be deemed to have been made under these rules.</p>
<b>Training</b>	<p><b>19- (1)</b> (a) Workshop Hands, Assistant Operators, Head Operators/Head Operators (Mechanic) finally selected for appointment under rules 15 and 17 shall be required to successfully undergo such training as prescribed by the head of department. The finally selected candidates for basic training if fails to join training in prescribed time, his selection/candidature shall be cancelled.</p> <p>(b) The Head of the Department shall conduct supplementary course and re-examination amongst the</p>

	<p>cadets who found unsuccessful in Basic Training. The cadets found unsuccessful in supplementary training, their services shall be terminated by the appointing authority.</p> <p>(2) The candidates appointed by promotion under rules 17 shall be required to successfully undergo such training as prescribed by the Head of Department</p>
<b>Probation</b>	<p><b>20-</b> (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.</p> <p>(2) In probation period, the probationers shall be required to complete such training as prescribed by the Head of Department.</p> <p>(3) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which extension is granted.</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances, beyond two years.</p> <p>(4) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities according to the satisfaction of the appointing authority, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.</p> <p>(5) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub rule (4) shall not be entitled to any compensation.</p> <p>(6) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.</p>
<b>Confirmation</b>	<p><b>21-</b> (1) Subject to the provisions of sub rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if:</p> <p>(a) he has successfully undergone the prescribed training;</p> <p>(b) his work and conduct found satisfactory; and</p> <p>(c) his integrity is certified.</p>

	(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.
<b>Seniority</b>	<b>22-</b> Seniority of a person appointed substantively to a post in the services shall be determined by the Uttar Pradesh Government Servant Seniority Rules, 1991 as amended from time to time.

### PART-VII- SCALES

<b>Scales of pay</b>	<b>23-</b> (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service shall be such as may be determined by the Government from the time to time.  (2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Sl.</th> <th style="text-align: center;">Name of the Post</th> <th style="text-align: center;">Pay Band (Rs.)</th> <th style="text-align: center;">Grade Pay (Rs.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Workshop Hand</td> <td style="text-align: center;">5200-20200</td> <td style="text-align: center;">2000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Assistant Operator</td> <td style="text-align: center;">5200-20200</td> <td style="text-align: center;">2400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Head Operator/Head Operator (Mechanic)</td> <td style="text-align: center;">9300-34800</td> <td style="text-align: center;">4200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Radio Sub-Inspector</td> <td style="text-align: center;">9300-34800</td> <td style="text-align: center;">4600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Radio Inspector</td> <td style="text-align: center;">9300-34800</td> <td style="text-align: center;">4800</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>Note:-</b> Members of the service shall be eligible for special pay/profession pay and other allowances sanctioned by Government from time to time.</p>	Sl.	Name of the Post	Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)	1.	Workshop Hand	5200-20200	2000	2.	Assistant Operator	5200-20200	2400	3.	Head Operator/Head Operator (Mechanic)	9300-34800	4200	4.	Radio Sub-Inspector	9300-34800	4600	5.	Radio Inspector	9300-34800
Sl.	Name of the Post	Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)																					
1.	Workshop Hand	5200-20200	2000																					
2.	Assistant Operator	5200-20200	2400																					
3.	Head Operator/Head Operator (Mechanic)	9300-34800	4200																					
4.	Radio Sub-Inspector	9300-34800	4600																					
5.	Radio Inspector	9300-34800	4800																					
<b>Pay during Probation</b>	<b>24-</b> (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergoing training where prescribed and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:  Provided that if the period of probation is extended																							

	<p>on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.</p> <p>(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules.</p> <p>Provided that if period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.</p> <p>(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.</p>
--	---

**PART-VIII**  
**OTHER PROVISIONS**

<b>Canvassing</b>	<b>25-</b> No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post of service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.
<b>Regulation of other matters</b>	<b>26-</b> With regard to the matters not specifically covered by these rules or provisions, regulations and orders, persons appointed to the service shall be governed according to the other provisions, regulations and orders made under Police Act as applicable.
<b>Relaxation from the conditions of service</b>	<b>27-</b> Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the cases in just and equitable manner.
<b>Saving</b>	<b>28-</b> Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

In the said rules, the Appendces- 1, 2, 3 and 4 has been omitted.

**(\*\* Amended by notification no. 18/2016/2792/VI-Pu-01-16-1300(7)-1994 dated: 19.10.2016)**

**( Debasish Panda )**  
Pramukh Sachiv, Grih

**NOTE :-**

- (1) \* Amended by notification no. 8/2016/609/6-pu-01-16-1300(7)-1994 dated: 15.03.2016 (The Uttar Pradesh Police Radio Sunordinate Service (First Amendment) Rules, 2016)
- (2) \*\* Amended by notification no. 18/2016/2792/VI-Pu-01-16-1300(7)-1994 dated: 19.10.2016 (The Uttar Pradesh Police Radio Sunordinate Service (Second Amendment) Rules, 2016)
- (3) \*\*\* Amended by notification no. 7/2018/2369/6-pu-01-18-1300(7)-1994 dated: 11.06.2018 (The Uttar Pradesh Police Radio Sunordinate Service (Third Amendment) Rules, 2018)